न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0- 12/2025
पीठासीन अधिकारी- राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक- 13.10.2025

1. पन्नालाल दत्तक पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. बदाम देवी पुत्री रामकरण धर्मपत्नि रामकिशन जाति जाट निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा हाल निवासी मोरडी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. शान्ति देवी पुत्री रामकिशन धर्मपत्नि हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम मोरडी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ताः- श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील प्रार्थी
श्री हनुमान सहाय सिंहाग वकील अप्रार्थी सं0 1, 2

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः- 13.10.2025

1. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने आराजी खाता सं0 87 के खसरा नम्बर 14, 175, 175/569, 178, 182, 183, 184, 195, 241, 246, 31, 449, 463 कुल किता 13 कुल रकबा 5.3238 है0, खाता सं0 88 के ख0न0 33 रकबा 0.0126 है0, खाता सं0 89 के ख0न0 16 रकबा 0.3035 है0 भूमि वाके ग्राम खडूंज तहसील फागी, जिला जयपुर बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के नाना की पैतृक आराजी के आधार पर पेश किया है एवं प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाना की पैतृक सम्पति है। जिसकी विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान के नाम नही खुला है क्योकि उक्त आराजीयात को लेकर प्रार्थी के नाना के अन्य परिवारजनों ने राजस्व न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा था। प्रार्थी के नाना के एकमात्र जायन्दा सन्तान पुत्री प्रार्थी की दत्तक माता अप्रार्थी सं0 1 ही है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी की दत्तक माता है जिसने प्रार्थी को गोद लिया है, प्रार्थी के दत्तक पिता रामकिशन की मृत्यु के प्श्चात उसकी

उपखण्ड अधिकारी
फागी

विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम बराबर – बराबर खुल चुका है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी के पास रहती थी लेकिन कुछ वर्षो से अपनी पुत्री अप्रार्थी सं0 2 के बहकावे में आकर प्रार्थी को छोडकर अप्रार्थी सं0 2 के पास आकर रहने लग गई। उक्त आराजी वर्तमान मे प्रार्थी के नाना रामकरण पुत्र बीज्या के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसमे प्रार्थी की माता को मिलने वाले विरासतन हिस्से मे से प्रार्थी 1/3 हिस्से का हक व अधिकार रखता है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी के नाना की सम्पूर्ण आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण अकेले अपने नाम खुलवाकर खुर्द – बुर्द कर बैचान करने पर आमादा है। इस प्रकार दौरान – ए – वाद उक्त आराजी पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतनामा हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री हनुमान सहाय सिंहाग उपस्थित आये तथा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने अपने जबाब मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यो का खंण्डन करते हुये बताया की रामकरण पुत्र बीज्या की एकमात्र जीवित प्रथम श्रैणी की उत्तराधिकारी व वारिस एक मात्र अप्रार्थी सं0 1 उसकी पुत्री है। इसलिये प्रार्थी का उक्त आराजी मे किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। अप्रार्थी सं0 1 के पति ने किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड गोदनामा प्रार्थी के हक में पंजीबद्व नही करवाया था परन्तु सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोद लेने के आधार पर अप्रार्थीया सं0 1 के पति रामकिशन की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थी सं0 1 व 2 व वादी के हक बराबर – बराबर खोला गया रामकिशन की विरासत का नामान्तकरण खुलने के कुछ ही दिनों बाद प्रार्थी ने अप्रार्थीया के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया को हैरान – परेशान किया गया किसी प्रकार से कोई सेवा – सुश्रषा नही की गई एवं उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीया को हैरान – परेशान करने के उदेश्य से पेश किया गया है। प्रार्थी स्व0 रामकरण पुत्र बीज्या का वारिस नही है इसलिये रामकरण पुत्र बीज्या की सम्पति मे किसी प्रकार की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी नही है एवं ना ही किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा – खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

3. प्रकरण मे उभयपक्षकारान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 का दत्तक पुत्र है एवं अप्रार्थी सं0 2 प्रार्थी की बहिन है। उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाना की भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी के पास रहती थी लेकिन कुछ वर्षो से अपनी पुत्री अप्रार्थी सं0 2 के बहकावे में आकर प्रार्थी को छोडकर अप्रार्थी सं0 2 के पास आकर रहने लग गई। अप्रार्थीगण ने भी अपने जबाब मे प्रार्थी को दत्तक पुत्र स्वीकार किया है। प्रार्थी उसके नाना व माता की भूमि मे प्रथमश्रेणी का वारिस है। इस प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल साबित है। इसलिये अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण ने अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया की उक्त विवादग्रस्त आराजी आज भी रामकरण पुत्र बिज्या के नाम दर्ज रिकोर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 रामकरण की प्रथम श्रेणी की वारिस है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8(1) व 14 (1) के तहत प्रार्थी प्रथम दृष्टया ही दावा नही ला सकता। हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम की धारा 8(1) के तहतः—

"हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार, जब कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत के मरता है, तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकार के निम्नलिखित क्रम में हस्तांतरित होती हैः पहले वर्ग । के वारिसों को, फिर यदि वर्ग । के कोई वारिस नहीं हैं तो वर्ग ॥ के वारिसों को, और उसके बाद गोत्रज और फिर सजातीयों को। धारा 8 (1) का उल्लेख विशेष रूप से नहीं किया गया है, लेकिन यह मुख्य धारा 8 के "पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम" को संदर्भित करता है, जो उत्तराधिकार के क्रम को निर्धारित करता है।"

हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहतः— हिन्दू नारी की सम्पति उसकी आत्यन्यिकतःअपनी सम्पति होगी—

"हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।"

उपखण्ड अधिकारी
फागी

इसलिये प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष मे प्रबल साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित मे खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण मे पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया।

5 प्रकरण के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रावधानों का प्रकरण में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा – 212 के प्रावधान का उद्वाहरण इस प्रकार है।–

व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबन्ध– इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ – पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि:–

(क) किसी सम्पति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही सम्बन्धित है उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संकान्त किये जाने का खतरा है या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उदेश्यों को विफल करने के अनुक्रम उक्त सम्पति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है। तो न्यायालय अस्थाई व्यादेश कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

धारा 212 का विश्लेषण निम्ननुसार है।:–

इन उपचारों की मांग करने वाले प्रार्थी को निम्न दो शर्ते शपथ पत्र द्वारा या अन्य साक्ष्य में साबित करनी होंगी।

(क) विवादग्रस्त सम्पति को किसी पक्षकार द्वारा–

1. दुर्व्ययन करने
2. उसे नुकसान / हानि पहुँचाने
3. अन्य संकान्त किये जाने (अन्तरित करने) का भय या खतरा है, या

(ख) ऐसे विवाद का कोई पक्षकार, यदि उक्त सम्पति को न्याय के उदेश्यों को विफल करने के अनुक्रम में–

1. हटाने (to remove) या
2. व्ययन करने (निपटाने (to dispose of) की 1. धमकी देता है या, 2. ऐसा आशय (नियत) रखता है।, 3. तो उपरोक्त (क) या (ख) में से वर्णित दो शर्तो में से किसी एक का प्रमाण होने पर।

6 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 212 के साथ – साथ सिविल प्रकिया संहिता – 1908 के आदेश – 39 नियम – 01 व 02 में अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में प्रावधान बनाये गये है। जिसका उद्वाहरण इस प्रकार है।–

आदेश 39 का नियम 1 उन मामलों का उल्लेख करता है जिनमे एक अस्थाई व्यादेश स्वीकार किया जा सकता है। जव कि नियम 2 में संविदा – भंग की पुनरावृति या जारी रखना अवरूद्व करने (रोकने) के लिये व्यादेश स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है।

7. साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 212 के साथ – साथ सिविल प्रंकिया संहिता – 1908 के आदेश – 39 नियम – 4 में

उपखण्ड अधिकारी
फागी

9. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 39 नियम 01 व नियम – 02 के प्रावधान में निहित सिद्धान्त के बारे मे विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 *AIR SCW* 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय मे सिविल प्रकिया संहिता – 1908 के आदेश 39 नियम 01 व नियम 02 के प्रावधान में निहित सिंद्धान्त की विस्तृत विवेचना की है। जिसका प्रासंगिक पैरा का उद्घाहरण इस प्रकार है।–

> *5. Therefore, the burden is on the plaintiff by evidence aliunde by affidavit or otherwise that there is "a prima facie case" in his favour which needs adjudication at the trial. The existence of the prima facie right and infraction of the enjoyment of his property or the right is a condition for the grant of temporary injunction. Prima facie case is not to be confused with prima facie title which has to be established, on evidence at the trial. Only prima facie case is a substantial question raised, bona fide, which needs investigation and a decision on merits.*

अन्तर्गत धारा 212 के खण्ड (क) व (ख) मे दी गई दो शर्तो मे एक का पुरा होना अनिवार्य है।

Balance of Convenience (सुविधा का सन्तुलन)

10. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 AIR SCW 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान मे निहित सिद्धांत सुविधा का संतुलन की विस्तृत विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *5. (........) The third condition also is that "the balance of convenience" must be in favour of granting injunction. The Courtwhile granting or refusing to grant injunction should exercisesound judicial discretion to find the amount of substantial mischief or injury which is likely to be caused to the parties, if the injunction is refused and compare it with that it is likely to be caused to the other side if the injunction is granted. If on weighing competing possibilities or probabilities of likelihood of injury and if the Court considers that pending the suit, the subject-matter should be maintained in status quo, an injunction would be issued. Thus the Court has to exercise its sound judicial discretion in granting or refusing the relief of ad interim injunction pending the suit.*

Irreparabale Damage (अपूर्णनीय क्षति)

11. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 *AIR SCW* 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत अपूर्णनीय क्षति की विस्तृत विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी
फागी

5. (.......) Satisfaction that there is a prima facie case by itself is not sufficient to grant injunction. The Court further has to satisfythat non-interference by the Court would result in "irreparable injury" to the party seeking relief and that there is no other remedy available to the party except one to grant injunction and he needs protection from the consequences of apprehended injury or dispossession. Irreparable injury, however, does not mean that there must be no physical possibility of repairing the injury, but means only that the injury must be a material one, namely one that cannot be adequately compensated by way of damages.

Role/Power of Court

12. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रावधान के अनुप्रयोजन में न्यायालय की भूमिका, शक्तियां व दृष्टिकोण के बारे मे विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4602/2024 उनवान *Bloomberg Television Production vs Zee Entertainment Enterprises Limited* में दिनांक 12.03.2024 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—39 नियम—01 व नियम—02 के तहत न्यायालय की भूमिका एवं शक्तियो (Role/Power of Court) को स्पष्ट करते हुए निम्न दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:—

The three-fold test of establishing (i) a prima facie case, (ii)balance of convenience and (iii) irreparable loss or harm, for the grant of interim relief, is well-established in the jurisprudence of this Court. This test is equally applicable to the grant of interim injunctions in defamation suits. However, this three-fold test must not be applied mechanically,3 to the detriment of the other party and in the case of injunctions against journalistic pieces, often to the detriment of the public. While granting interim relief, the court must provide detailed reasons and analyze how the three-fold test is satisfied. A cursory reproduction of the submissions and precedents before the court is not sufficient. The court must explain how the test is satisfied and how the precedents cited apply to the facts of the case.

13. उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतो के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—39 नियम—01 व नियम—02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद,सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

14. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मे प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन एवं दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 के पिता रामकरण पुत्र बिज्या रिकार्डेड खातेदार चले आ रहे है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे दत्तक पुत्र की हैसियत से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने दत्तक पुत्र के सम्बन्ध मे कोई ऐसा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

रजिस्टर्ड दस्तावेज/गोदनामा प्रस्तुत नही किया जिससे सावित होता हो कि प्रार्थी रामकिशन का दत्तक पुत्र है।

हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम की धारा 8(1) मे उल्लेख किया गया है कि:—

"हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार, जब कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत के मरता है, तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकार के निम्नलिखित क्रम में हस्तांतरित होती है: पहले वर्ग I के वारिसों को, फिर यदि वर्ग I के कोई वारिस नहीं हैं तो वर्ग II के वारिसों को, और उसके बाद गोत्रज और फिर सजातीयों को। धारा 8 (1) का उल्लेख विशेष रूप से नहीं किया गया है, लेकिन यह मुख्य धारा 8 के "पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम" को संदर्भित करता है, जो उत्तराधिकार के क्रम को निर्धारित करता है।"

हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत:— हिन्दू नारी की सम्पति उसकी आत्यन्यिकत:अपनी सम्पति होगी—

"हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।"

अगर प्रार्थी रामकिशन का दत्तक पुत्र मान भी लिया जावे तो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी प्रार्थी की माता के नाम दर्ज रिकार्ड नही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रार्थी की माता अप्रार्थी सं0 1 ही रामजीवण की एक मात्र प्रथम श्रेणी की वारिस है व धारा 14 के अनुसार यह सम्पति स्वंय के द्वारा अर्जित सम्पति माना गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अपने हिस्से की घोषणा मूलवाद में गुणावगुण व साक्ष्य सबुत के आधार पर करवाने का अधिकार है लेकिन अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के पक्ष मे प्रबल साबित होता है।

15. प्रकरण में अब प्रार्थी को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण मे राजस्व रिकार्ड एवं समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार नही है अपितु अप्रार्थी सं0 1 के पिता के नाम इन्द्राज चली आ रही है। अगर बिना रिकार्डेड खातेदार को अगर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो विवादित आराजी खुर्द — बूर्द व रहन इत्यादित किये जाने का प्रश्न ही नही होता है। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने प्रश्न ही नही होता है। इसलिये अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होती है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

16. इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का प्रकरण में विवाद विषयवस्तु प्रकट नही होने अर्थात प्रथम दृष्टया केस, अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी को हुई असुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/10/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

नोट:- आदेश दिनांक 17.10.25 के अनुसार खाता सं. 95 के आराजी ख.नं. 229 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गोकुलपुरा, पटवार हल्का कैरिया, तहसील फागी भी पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी

आदेश पत्रक

पन्नालाल बनाम बदाम देवी वगै.

न्यायालय SDO फागी

संख्या 12/2025 T.I.

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/9/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. पत्रावली वास्ते बहस T.I. हेतु दिनांक 9/10/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
	9/10/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 10/10/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	10/10/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. बहस T.I. उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/10/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	13/10/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. आदेश सुनाया जाता है। प्रार्थी का प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी	